

**Circulation of communal and China-supported Newspapers in Bihar**

1578. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether some communal and China-supported newspapers are circulated in Bihar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) No China supported communal newspaper in Bihar has come to the notice of Government.

(b) Does not arise.

**P & T facilities in Bihar during Fifth plan period**

1579. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of new Post Offices to be opened during the Fifth Five Year Plan in Bihar;

(b) the number of Post Offices which will be provided with Telephone and Telegraph facilities in the Fifth Plan in Bihar; and

(c) the total outlay in the plan sanctioned for the development of Bihar Post-offices?

**THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA):**

(a) The Fifth Five Year Plan programmes on postal facilities have not yet been finalised. Draft plan has been submitted to Planning Commission for approval. On receipt of Planning Commission's approval, the targets will be fixed for each circle.

(b) The number of post offices which will be provided with Telephone and Telegraph facilities in the Fifth Plan in Bihar has not been fixed so

far. The facilities will be provided to new places subject to remunerativeness or fulfilment of the conditions prescribed in the policy for provision of the Telegraph and Telephone facilities.

(c) Does not arise in view of answer against item (a).

**स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था**

1580. श्री राजाबतार शास्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों ने अपने यहां स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना के प्रतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाएं देने हेतु कुछ नई योजनाएं तयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एक.एच. मोहम्मिन): (क) और (ख): राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएं हैं और उन में से कुछ-कुछ समय से चालू हैं जिनका सम्बन्ध अन्य बातों के साथ-साथ पेंशनों की स्वीकृति, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए एकमुश्त अनुदानों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाओं, प्राथमिकता पर भूमि अनुदानों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्कूलों व कालेजों में शैक्षिक रियायतों इत्यादि से है।

**स्वतंत्रता सेनानियों को मकान बनाने के लिए भूमि का आवंटन**

1581. श्री राजाबतार शास्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को मकान बनाने के लिए भूमि देने का निर्णय किया है; और

(ब) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार का विचार इसे कब तक क्रियान्वित करने का है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एक एच मोहसिन): (क) और (ख) सूचना एकत्रित आ रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वतंत्रता सेनानी ससद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को पेंशन देना

1582 श्री रामावतार शास्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 30 जून, 1973 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए भ्रावेदन पत्र देने वाले ससद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की राज्यवार सख्या क्या है तथा उनके नाम क्या है,

(ख) जिन लोगों को पेंशन की स्वीकृति मिल चुकी है उनके राज्यवार नाम क्या है, और

(ग) शेष व्यक्तियों के बारे में सरकार का कब तक निर्णय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एक एच मोहसिन) : (क) ससद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के नामों और उन राज्यों के नाम जिनसे उनका सम्बन्ध है, का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [मंत्रालय में रखा गया। देखिये सख्या LT 5273/73]

(ख) अभी तक किसी ससद सदस्य भ्रबवा किसी विधायक को पेंशन स्वीकृत

नहीं की गई है। किन्तु तमिलनाडु के ससद सदस्य ( लोक सभा) स्व० श्री के० बाला-धन्दयुधाम की विधवा को 150 रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है। इसमें 50 रु० मासिक भ्रविवाहित पुत्री के लिए पेंशन है जो उसके विवाह तक मिलती रहेगी और 100 रु० मासिक पेंशन विधवा के लिए है जो उसको जीवन काल तक मिलती रहेगी।

(ग) ऐसे मामलों में पेंशन, भ्रवेदक की यह घोषणा प्राप्त होने पर की जायेगी कि उसकी वार्षिक आय 5000 रु० से कम हो गई है, स्वीकृत की जायेगी। बशर्ते कि पात्रता की अन्य शर्तें पूरी हो।

स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन-भ्रकिया

1583. रामावतार शास्त्री : क्या

गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन भ्रकी प्रकाशित करने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) सरकार का विचार इस योजना को कब से क्रियान्वित करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री श्री एक एच मोहसिन) : (क) से (ग) 1960 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उनके अपने क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों की एक "परिचय पुस्तक" निकालने के लिए भ्रावश्यक कदम उठाने हेतु भ्रनुरोध किया गया था। इन पुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन भ्रकी तथा उनके जीवन की मुख्य उपलब्धिया समाहित करनी थी। जबकि बहुत थोड़े राज्य सरकारों/संघ राज्य